

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ/अलेसे-III / 13433-444

दिनांक: 2-3-12

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मियों की उनके नाम के सामने अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(III) के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक एफ-2(16)वित्त/राजस्व/2004 दिनांक 28.02.2012 (उपसचिव(वीपी)मु.म. की आईडी संख्या एफ-12000838 दिनांक 23.02.2012 से अनुमोदित) द्वारा नियमित कर वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की है। अतः आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान कॉलम संख्या 6 में अंकित विभाग/कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा दी जाती है:-

क्र.सं	नाम लेखाकर्मियों	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियमित की गई		विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन का भुगतान किया जावेगा
		कब से	कब तक	
1	2	4	5	6
1.	किशोर सिंह लेखाकार	12-10-11	17-01-12	कोषालय, झुन्झुनू
2.	सुरेश चन्द अरोड़ा क0लेखाकार	07-10-11	19-01-12	ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, रोहट (पाली)
3.	बलजीत सिंह, क0लेखाकार	24-10-11	20-01-12	सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगानगर
4.	बुद्धाराम चौधरी क0लेखाकार	02-11-11	31-01-12	सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, ग्रामीण, जोधपुर

निदेशक

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ/अलेसे-III / 13433-444
प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक: 2-3-12

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष-

को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।

✓ 2. प्रभारी, एनआईसी वित्त भवन, जयपुर को आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

3. डेस्क आफिसर कार्मिक(अलेसे-द्वितीय/तृतीय)

4. श्री-

लेखाकार

कार्यालय-

लेखाकार/क0

को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग /कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।

5. निजी सहायक, निदेशक

6. निजी पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II)